राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक प. 10(4)कार्मिक/क–2/2023–08017 जयपुर, दिनांक: 28.10.2026

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर सहित)।

परिपत्र

विषयः– सभी संवर्गों एवं पदों की नियमित डीपीसी आयोजित किए जाने के संबंध में।

सभी सेवा नियमों में वरिष्ठता निर्धारण एवं पदोन्नति संबंधी विहित प्रावधानान्तर्गत विभिन्न पद/संवर्गो की प्रत्येक वर्ष एक अप्रेल की स्थिति में वरिष्ठता सूची तैयार कर प्रसारित करना एवं रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित कर पदोन्नति संबंधी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

कार्मिक विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 26.08.2023 द्वारा समयबद्ध रूप से डीपीसी आयोजित किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे, जिसके तहत 01 अप्रेल की स्थिति में अस्थाई वरिष्ठता सूचियों का प्रकाशन 01 जनवरी को किया जाकर, 01 अप्रेल को अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी करना एवं 31 मई तक पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण करना आवश्यक है।

उल्लेखनीय है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट वर्ष 2026–27 में की गई घोषणा की पालना में विविध सेवा नियमों में पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव अथवा सेवा अनुभव में 2 वर्ष तक का शिथिलन दिये जाने हेतु अधिसूचना दिनांक 17.08.2026 जारी की जा चुकी है परन्तु अनेक विभागों में वर्ष 2026–27 की डीपीसी की बैठकें आयोजित नहीं की गई है जिससे कार्मिकों को पदोन्नतियों का लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा है।

अतः समस्त प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्षों/नियुक्ति प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु 15 नवम्बर तक आवश्यक रूप से सभी संवर्गो की डीपीसी आयोजित कर पदोन्नति संबंधी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

(अर्चना सिंह)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अति. मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. संयुक्त शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव

Signature valid
Digitally signed by Archana Singh
Designation: Secretary To Government
Date: 2026.10.28 13:25:45 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 25231919
M e-Sign

32/2026